



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2012-ज्येष्ठ 4, शके 1934

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

##### अन्य सूचनाएं

##### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपने पुत्र अंकित आलेकर का नाम पारिवारिक कारणों से परिवर्तन कर अमित चंद्रशेखर आलेकर रखा है। अतः आज से उसे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

(40-बी.)

चंद्रशेखर आलेकर

34, लोकमान्य नगर, इन्दौर,  
पिन कोड 452009.

##### नाम परिवर्तन

मेरा पुत्र साहिल पिता राकेश त्रिपाठी का नाम परिवर्तन कर मृलुंजय कर लिया है। अब उसे मृलुंजय पिता राकेश त्रिपाठी के नाम से जाना जाये।

(41-बी.)

राकेश त्रिपाठी

निवासी-डी-1, एरिया बस स्टेण्ड के पास,  
नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

##### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम Amandeep Kaur के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था जो कि अब मुझे वर्तमान में Amandeep Kaur Jhajj हो गया है। अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम Amandeep Kaur Jhajj के नाम से जाना जाये।

पुराना नाम :

नया नाम :

(अमनदीप कौर)

(अमनदीप कौर झाज्ज)

(Amandeep Kaur)

(Amandeep Kaur Jhajj)

(42-बी.)

211, समरपाक कालोनी,  
निपनिया रोड़, इन्दौर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

कुमारी दीपि पटले पिता भोजलाल पटले, ग्राम मंगोली, तहसील किरनपुर, जिला बालाघाट की निवासी हैं। जिनका विवाह रविन्द्र कुमार राहंगडाले पिता चुनीलाल राहंगडाले, ग्राम पंचायत लिलामा, तहसील खैरलांजौ, जिला बालाघाट के साथ 26 अप्रैल, 2009 को सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ है। विवाह के बाद अब कुमारी दीपि पटले को श्रीमती दीपि रविन्द्र राहंगडाले के नाम से जाना और पहचाना जाये।

पुराना नाम :

(दीपि पटले)

(43-बी.)

नया नाम :

(दीपि राहंगडाले )

पति रविन्द्र राहंगडाले

C/o चुनीलाल राहंगडाले,  
ग्राम लिलामा, पोस्ट भौरगढ़, तहसील खैरलांजौ,  
जिला बालाघाट-481337.

### नाम परिवर्तन

मैं, रामकिशुन पुष्पद तनय श्री स्व. मुख्लीधर पुष्पद, निवासी वार्ड नं. 7, जैन मंदिर रोड, खजुराहो एतद् से घोषणा करता हूँ कि मैंने अपना नाम बदलकर रामकिशोर पुष्पद रख लिया है। मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है तथा भविष्य में भी इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

पुराना नाम :

(रामकिशुन पुष्पद)

(45-बी.)

नया नाम :

(रामकिशोर पुष्पद)

जैन मंदिर रोड, वार्ड क्र.-7, खजुराहो,  
तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.).

### विविध

#### न्यायालयों की सूचनाएं

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, अनुभाग-देवास**

देवास, दिनांक 31 जनवरी, 2012

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 5 (2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत ]

क्र. /1945/रीडर-1/12.--मुख्य प्रबंध ट्रस्टी श्रीमती ममता पति डॉ. देवेन्द्रकुमार मिश्रा, निवासी 17, चामुण्डापुरी, देवास द्वारा इस न्यायालय में “‘श्री सीताराम राधेश्याम पारमार्थिक ट्रस्ट’” के नाम से पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा पत्र उद्देश्य नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूप रेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है। ट्रस्ट पंजीयन के संबंध में पंजीयन शुल्क रूपये 5/- चालान की प्रति संलग्न की गई है।

अतः श्री सीताराम राधेश्याम पारमार्थिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति इस उद्घोषणा के जारी होने के दिनांक से 30 दिन में इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

आज दिनांक 31 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

प्रभात काबरा,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार।

(248)

## न्यायालय तहसीलदार, कैन्ट, जबलपुर

(कलेक्टर परिसर कक्ष क्रमांक-20)

जबलपुर, दिनांक 9 मई, 2012

रा. प्र. क्र./21/बी-121/2011-12.

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मेल्टीयूस ग्रेगरी पिता स्व. लियो ग्रेगरी, निवासी-रिज रोड, एम.ई.एस. कालोनी, पी 290/8, थाना कैन्ट, जबलपुर द्वारा इस आशय का आवेदन दिया गया है कि उनके मामा-1. श्री जॉन वेनी फ्रांसिस पिता इमानवेल फ्रेंकलिन फ्रांसिस उम्र 59 वर्ष, 2. श्रीमती वेरोनिका बेला फ्रांसिस पति जॉन वेनी फ्रांसिस उम्र 52 वर्ष, 3. अजय फ्रांसिस पिता श्री जॉन वेनी फ्रांसिस उम्र 28 वर्ष, 4. संजय फ्रांसिस पिता श्री जॉन वेनी फ्रांसिस उम्र 24 वर्ष, 5. वीना फ्रांसिस पुत्री श्री जॉन वेनी फ्रांसिस उम्र 26 वर्ष, सभी निवासी- म.नं. 9/19, सदर, जे.के. हुसैन कम्पाउण्ड, इंडियन कॉफी हाउस के पीछे, छावनी परिषद, जबलपुर (मध्यप्रदेश) जो बेलांगनी चर्च, जिला नागापट्टम, तमिलनाडु राज्य में हिनांक 21 दिसम्बर, 2004 को तीर्थयात्रा हेतु गये थे, जो नागापट्टम में आयी सुनामी (प्राकृतिक आपदा) दिनांक 26 दिसम्बर, 2004 को लापता हो गये।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये सर्व-साधारण सूचनार्थ/प्रकाशनार्थ सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी वर्णित व्यक्तियों के संबंध में किसी व्यक्ति को उनकी उपस्थिति अथवा कहीं निवास कर रहे हों, जानकारी हो तो लिखित में न्यायालय में उपस्थित होकर इशतहार प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि के अन्दर प्रमाणों सहित तत्संबंध में लिखित सूचना देवें। निर्धारित अवधि उपरांत प्राप्त सूचनाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मान लिया जावेगा कि उक्त वर्णित सभी व्यक्ति गुमशुदा हैं तथा इनकी उपस्थिति उनके निवास जबलपुर जिले एवं जिले के आस-पास नहीं है।

आज दिनांक 9 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

(240)

## BEFORE THE COURT OF TEHSILDAR CANTT, JABALPUR (M.P.)

(COLLECTORATE, JABALPUR ROOM NO. 20)

Dated 9<sup>th</sup> May, 2012

RC No. 21/b-121/2011-12.

It is to inform to the general public that applicant Mr. Meletus Gregory S/o Late Leo Gregory R/o Ridge Road, M.E.S. Colony, P/290/8, Cantt, Jabalpur) has applied for the public acknowledgement regarding the missing of his uncle named Mr. John Venny Francis S/o Mr. Emanual Franklin Francis, aged 59 years, Mrs. Veronika Bela Francis W/o Mr. John Venny Francis aged 52 years, Mr. Ajay Francis S/o Mr. John Venny Francis aged 28 years, Mr. Sanjay Francis S/o John Venny Francis aged 24 years and Miss Veena Francis D/o Mr. John Venny Francis aged 26 years R/o H.No. 9/19, Sadar J.K. Hussain Compound, Behind Indian Coffee House, Cantt, Jabalpur (M.P.). All above person went on 21<sup>st</sup> December, 2004 for pilgrimage at Nagapattinam (Tamil nadu), then after all the persons were missing since 26<sup>th</sup> December, 2004 due to the natural disaster tsunami.

Due to the above facts it is to inform to the general public, that if in case any body has any information regarding their presence at any place or if any person has any knowledge regarding the persons those names have mentioned in the public notice, may inform to this court within 15 days in written information from the date of publication of notice. Any information/objection will not be entertained after expiry of limitation of 15 days. After expiry of 15 days it will be deemed that the above named person is not residing at district Jabalpur or near by district Jabalpur and they are missing.

Issued on 09<sup>th</sup> May, 2012 under the seal and sign of this court.

V. K. Karn,

Tehsildar.

(240-A)

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, शाजापुर

प्र. क्र. 03/बी-113/2011-12.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

पंजीयक लोक न्यास के समक्ष.

चूंकि श्री भैरवप्रसाद दीप पिता स्व. श्री माधवप्रसाद, निवासी ग्राम बौलाई संस्थापक द्वारा माधव स्मृति न्यास ट्रस्ट, बौलाई, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा, के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया. जिसकी चल-अचल सम्पत्ति परिशिष्ट में दर्शायी गई है। सर्व-सम्बन्धित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है।

जो भी व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो, उसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अधिसूचना प्रकाशन से तीस दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें। उक्त नियत अवधि के पश्चात् प्राप्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट “अ”

न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण : नगदी राशि रुपये 5,000/- मात्र।

### परिशिष्ट “ब”

न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण : निरंक।

(241)

प्र. क्र. 02/बी-113/2011-12.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

पंजीयक लोक न्यास के समक्ष.

चूंकि श्री भैरवप्रसाद दीप पिता स्व. श्री माधवप्रसाद, निवासी ग्राम बौलाई संस्थापक द्वारा जय माँ दुर्गा कृपा केन्द्र ट्रस्ट, बौलाई, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा, के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया. जिसकी चल-अचल सम्पत्ति परिशिष्ट में दर्शायी गई है। सर्व-सम्बन्धित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है।

जो भी व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो, उसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अधिसूचना प्रकाशन से तीस दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें। उक्त नियत अवधि के पश्चात् प्राप्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट “अ”

न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण : नगदी राशि रुपये 5,000/- मात्र।

### परिशिष्ट “ब”

न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण : खाता क्र. 1773, रकबा 1.881 ओर में से हिस्सा 1/3 भूमि सर्वे नम्बर 843/1 मिन रकबा 0.627 व 843/1 मिन रकबा 2.209 में ट्रस्ट माधव स्मृति बनाने हेतु आवेदक भैरवप्रसाद द्वारा भूमि दी गई है।

अवधेश शर्मा,  
अनुविभागीय अधिकारी।

(241-A)

**न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर**

मा. क्र. 1 ब/113/वर्ष 2011-12.

**प्रारूप क्र.-4**

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1)के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, लोक न्यास, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर के समक्ष।—

यतः कि स्वामी सदानन्द सरस्वती दण्डी स्वामी गुरु स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती, निवासी स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती चेरिटेबिल ट्रस्ट, मवई झोतेश्वर, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 29 मई, 2012 दिन मंगलवार दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का पूरा नाम व पता-- स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती चेरिटेबिल ट्रस्ट, मवई, झोतेश्वर, जिला नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश)

1. मौजा मवई नं. ब. 457 ह. नं. 41, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश) स्थित भूमि ख. नं. 14/3, 14/4 में से रक्का 0.393 हे. 10000 स्क्वेयर फीट में तैयार भवन नेत्र चिकित्सालय एवं जंगम सम्पत्ति में एम्बुलेंस।
2. बैंक एकाउन्ट सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, झोतेश्वर 1,00,000/- (रु. एक लाख)।

जारी दिनांक : 30 अप्रैल, 2012

पेशी दिनांक : 29 मई, 2012

आर. पी. बडोदे,  
पंजीयक।

(242)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग सीहोर**

प्र. क्र. 03/बी-113 (1)/11-12.

1. श्री सुरेन्द्र सिंह आ. स्व. हेमसिंह
2. श्री महेन्द्र सिंह आ. स्व. बलदेवसिंह
3. श्री प्रह्लादसिंह आ. स्व. भंवरलाल
4. श्री हिरेन्द्र श्रीवास्तव आ. शिवरतनलाल
5. श्री विनोद सिंह आ. धीरज सिंह सिसोदिया
6. श्री अरविंद सिंह केलवा आ. भोलाशंकर
7. श्री सुरेन्द्र सिंह आ. ठाकुर स्व. नरहर सिंह
8. श्री प्रेमनारायण आ. घीसूलाल दांगी

9. श्री संजय मालवीय आ. श्रीकिशन मालवीय

10. श्री दीपेन्द्र सिंह आ. नर्बद सिंह

11. श्री किशन माली आ. गणपत माली

12. श्री सुभाष केलवा आ. रामेश्वर सिंह

सभी ट्रस्टीगण श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर

निवासी दोराहा, तहसील व जिला सीहोर.

..... आवेदक

विरुद्ध

सर्व-साधारण.

..... अनावेदकगण

### उद्घोषणा-पत्र

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदकगण सुरेन्द्र सिंह आ. स्व. हेमसिंह एवं 11 अन्य समस्त निवासीगण दोराहा, तहसील श्यामपुर द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण क्र. 01/बी-113(1)/1979-80 पारित आदेश दिनांक 07 जुलाई 1981 से ग्राम दोराहा में लक्ष्मीनारायण मंदिर ट्रस्ट का गठन किया जाना बताया गया है तथा उक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति के लिये दिनांक 27 अगस्त, 2011 को बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित किया जाकर आवेदक क्र. 2 से 11 को उक्त ट्रस्ट में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ट्रस्टीगणों को सम्मिलित किये जाने हेतु लोक न्याय अधिनियम की धारा-25 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त आवेदन-पत्र के संबंध में इस न्यायालय में दिनांक 6 जून, 2012 को सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह उद्घोषणा के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक, अधिकृत मुख्यार के माध्यम से अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि उपरांत प्राप्त होने वाली आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा।

आज दिनांक 2 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

इच्छित गढ़पाले,

पंजीयक।

(243)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बहोरीबंद, जिला कटनी

प्रारूप-चार

प्र. क्र./01/बी-113/2009-2010.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) 35 की धारा 5 (2) वे मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम 1962 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

चूँकि डॉ. श्रीपालदास, अध्यक्ष, श्री राम लक्ष्मण जानकी मंदिर बाकल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति पेश करना चाहे तो वह नोटिस में राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के भीतर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल / अचल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	श्री रामलक्ष्मण जानकी मंदिर बाकल
पता	ग्राम बाकल, तहसील बहोरीबन्द, जिला कटनी (म. प्र.).
चल सम्पत्ति	
अचल सम्पत्ति	ग्राम बाकल रा. नि. मं. बाकल प. ह. नं. 4 ख. नं. 994, 1668, 1668, 1731, 1753, 1753, 1762 रकवा 0.42, 0.17, 1.89, 0.31, 0.29, 0.35, 0.19 कुल रकवा 3.59 है। श्री रामलक्ष्मण जानकी मंदिर के स्थान पर कच्चा, पक्का मंदिर बना हुआ है। पड़ी जमीन 30x45 फुट है। सामने परछी है।

आज दिनांक 12 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

जी. पी. शर्मा,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार।

(244)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, धार, जिला धार

धार, दिनांक 23 अप्रैल, 2012

फार्म नम्बर-3

[देखिये नियम-4 (2)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 (तीस 1951) की धारा 4 के तहत न्यास पंजीयन बाबत]

समक्षः—रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला धार।

क्र. 1428/रीडर-1/2012.—चूंकि “श्री कर्मवीर श्रम कल्याण न्यास” इस नोटिस के शेड्यूल में दर्शाये हुये जायदाद के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के बाबत मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 के एक अर्ज प्रस्तुत किया है। याद रखें कि ऊपर दिये हुये अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 8 अगस्त, 2012 को किया जावेगा।

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हों और जिसका उक्त बाबद कोई विरोध कराने का इरादा हो या सुझाव, वह जवाब दावा दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह में भेजने की तज्वीर करें और मेरे समक्ष दिनांक ..... 2012 उक्त नियत अवधि के बाद प्राप्त हुये आपत्ति विचार योग्य नहीं मानी जावेगी।

## अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : “श्री कर्मवीर श्रम कल्याण न्यास”
2. चल सम्पत्ति : 1001/- (रुपये एक हजार एक) नगद
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

आज दिनांक 23 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

आर. के. चौधरी,

रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

(245)

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, कुरवाई, जिला विदिशा

प्र. क्र. 2/बी-113/10-11.

कुरवाई, दिनांक 30 अप्रैल, 2012

प्रारूप क्र. 4

[ देखें नियम-5 (1) ]

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा ]

श्री एस. सी. गंगवानी, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यासों के पंजीयक कुरवाई, जिला विदिशा के समक्ष यतः कि श्री रमेश प्रजापति पुत्र रज्जूलाल प्रजापति, निवासी कुरवाई, तहसील कुरवाई ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 21 मई, 2012 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा स्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसार के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

**अनुसूची**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल / अचल सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता . . . श्री अटल बिहारी हनुमान मंदिर वार्ड नं. 10, कुरवाई, जिला विदिशा मध्यप्रदेश

**सम्पत्ति का विवरण—**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. चल सम्पत्ति . . .  | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में बचत खाता क्र. 172 में राशि 1,52,684/- रुपये (एक लाख बाबन हजार छ: सौ चौरासी रुपये)।   |
| 2. अचल सम्पत्ति . . . | कस्बा कुरवाई के वार्ड 10 में स्थित बेतवा नदी किनारे भूमि सर्वे क्र. 1417 में स्थित श्री अटल बिहारी हनुमान मंदिर एवं कस्बा कुरवाई के वार्ड नं. 10 स्थित कृषि भूमि सर्वे क्र. 1417, 1418, 1421, 1422, 1423, 1436, 1471 कुल सर्वे नं. 06 कुल रकवा 2.529 हैं। |

एस. सी. गंगवानी,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(246)

**न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर**

( फॉर्म-चार )

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत ]

“महेन्द्र कुमार रमिलाबेन शाह चेरिटी ट्रस्ट” कार्यालय 25/13, वाय. एन. रोड, पाश्वनाथ सोसायटी, इन्दौर की ओर से आवेदक श्री महेन्द्र कुमार शाह, निवासी 25/13, वाय. एन. रोड, पाश्वनाथ सोसायटी, इन्दौर एवं अन्य 6 द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर

इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : “महेन्द्र कुमार रमिलाबेन शाह चेरिटी ट्रस्ट”

पता : 25/13, वाय. एन. रोड, पाश्वनाथ सोसायटी, इन्दौर

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र)

आज दिनांक 7 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(247)

#### (फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“नार्मदीय समाज प्रगतिशील ट्रस्ट इन्दौर (मध्यप्रदेश)” कार्यालय 65, शापिंग काम्प्लेक्स, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक श्री ओमप्रकाश पिता एस. एल. मण्डलोई, निवासी 146, अनुप नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : “नार्मदीय समाज प्रगतिशील ट्रस्ट इन्दौर (मध्यप्रदेश)”

पता : 65, शापिंग काम्प्लेक्स, इन्दौर मध्यप्रदेश

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : रुपये 1,05,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख पाँच हजार मात्र)

आज दिनांक 07 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(247-A)

#### (फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“नवरत्न सुकृत फाउण्डेशन” कार्यालय 35, तिलक नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक श्री प्रेमकुमार पिता माणकचंद झंगरवाल पता 35, तिलक नगर, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिक्षु एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : “नवरत्न सुकृत फाउण्डेशन”

पता : 35, तिलक नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : रुपये 11,000/- (अक्षरी रूपये ग्यारह हजार मात्र)

आज दिनांक 7 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

शरद श्रोत्रिय,  
रजिस्ट्रार.

(247-B)

#### अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर

सागर, दिनांक 15 मार्च, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

श्रीराम ईंट-खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिलेरा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 621, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2103, दिनांक 14 सितम्बर, 2000 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री सी. एस. झा, सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरुण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीराम ईंट-खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिलेरा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 621, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(234-F)

सागर, दिनांक 15 मार्च, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बहरोल, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1095, दिनांक 23 फरवरी, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1610, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आर. सी. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरुण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बहरोल, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1095, दिनांक 23 फरवरी, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(234-G)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

स्वामी विवेकानन्द प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 576, दिनांक 29 अगस्त, 1994 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1073, दिनांक 24 जून, 1999 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री सी. एस. झा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरुण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वामी विवेकानन्द प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 576, दिनांक 29 अगस्त, 1994 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(234-H)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

केण्ट नागरिक प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 155, दिनांक 26 जुलाई, 1965 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री सी. एस. झा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरुण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केण्ट नागरिक प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 155, दिनांक 26 जुलाई, 1965 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(234-I)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

आनंद कुकुट उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 609, दिनांक 05 अगस्त, 1995 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2109, दिनांक 14 सितम्बर, 2000 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री जी. पी. कोरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरुण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आनंद कुवकुट उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 609, दिनांक 05 अगस्त, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(234-J)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

लक्ष्मी हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., मौकलपुर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 438, दिनांक 23 मार्च, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक कु. विमला सोनी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरुण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., मौकलपुर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 438, दिनांक 23 मार्च, 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(234-K)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., सानौंधा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 629, दिनांक 03 अप्रैल, 1996 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री जी. पी. कोरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरुण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., सानौंधा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 629, दिनांक 03 अप्रैल, 1996 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(234-L)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

वनश्री सुरक्षा एवं पर्यावरण सहकारी समिति मर्या., खजुरिया गुरु, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 688, दिनांक 28 मई, 1985 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री जी. पी. कोरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरुण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वनश्री सुरक्षा एवं पर्यावरण सहकारी समिति मर्या., खजुरिया गुरु, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 688, दिनांक 28 मई, 1985 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(234-M)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

सर हरिसिंह गोर उन्नत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 618, दिनांक 05 अक्टूबर, 1995 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री जी. पी. कोरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरुण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर हरिसिंह गोर उन्नत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 618, दिनांक 05 अक्टूबर, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(234-N)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., घाना, विकासखण्ड केसली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 987, दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2362, दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री के. पी. रैकवार, सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरुण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., घाना, विकासखण्ड केसली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 987, दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(234-O)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

पी.जी.बी.टी. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 158, दिनांक 31 दिसम्बर, 1969 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री सी. एस. झा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरुण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पी.जी.बी.टी. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 158, दिनांक 31 दिसम्बर, 1969 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(234-P)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

वर्धमान महिला प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 647, दिनांक 07 अक्टूबर, 1996 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2851, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. असाटी, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरुण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्धमान महिला प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 647, दिनांक 07 अक्टूबर, 1996 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(234-Q)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

अन्नपूर्णा प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 496, दिनांक 05 फरवरी, 1991 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2854, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. असाटी, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरुण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्नपूर्णा प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 496, दिनांक 05 फरवरी, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

अरुण कुमार मिश्र,  
उप-पंजीयक.

(234-R)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2012-ज्येष्ठ 4, शके 1934

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 8 फरवरी, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।
2. जुताई.—
3. बोनी.—
4. फसल स्थिति.— जिला छिन्दवाड़ा में फसल चने पर कहीं-कहीं इलियों का प्रभाव है।
5. कटाई.—जिला भोपाल में फसल तुअर व बैतूल में तुअर, गन्ना व विदिशा में मसूर, तिवड़ा, मटर तथा मण्डला में रबी की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।
6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, शहडोल, सिंगरौली में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।
8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सासाहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 8 फरवरी, 2012

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि क्षार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, आगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असापायिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत - (अ) सुधारी हुई, समान या विगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाइ के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2) बाजरा, सोयाबीन, राई-सरसों, गेहूँ समान.	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस	..	..	..	..	..
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	..	..	..	..	..
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2) गन्ना कम. (2)	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन	..	..	..	..	..
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. तिल कम. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डब्बरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	..	..	..	..	..
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) (2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर	..	..	..	..	..
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ सुधारी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बद्रवास	..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगरः	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) चना, राई-सरसों अधिक, गेहूँ, मसूर कम. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली 2. इसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्द्री 5. शाढ़ीरा	..	..	..	..	..
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2)	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गुना 2. राधोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज	..	..	..	..	..
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) (2) गना, तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा	..	..	..	..	..
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) (2) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़मलहरा 8. बक्सवाहा	..	..	..	..	..
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, प्याज अधिक, धान, ज्वार, तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ, जौ, अलसी, आलू कम. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर	..	..	..	..	..
जिला सागर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवडा, अलसी, मटर, आलू, प्याज सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़	..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक, तुअर, जौ कम, मसूर, सरसों, अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
*जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी, चना, गेहूँ, मटर, मसूर अधिक, अरहर, राई-सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मटर, राई- सरसों, अलसी अधिक, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, गेहूँ, जौ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी अधिक, तुअर, मसूर, आलू, जौ, मटर समान. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, चना अधिक, ज्वार, तुअर समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुबासराटपा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दसौर 6. सीतामऊ 7. धुम्भडका 8. शामगढ़ 9. संजीत	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक, अलसी समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	..				
*जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रत्लाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. 4. (1) गेहूँ अधिक, चना कम, मसूर, आलू समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर 5. बड़ौद 6. शाजापुर 7. शुजालपुर 8. कालापीपल 9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, आलू अधिक. चना, जौ कम. मूँग समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागती 5. कन्नौद 6. खातेगांव	..	..			
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, गेहूँ चना अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थोंदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर	..	..			
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवठ 2. अलीराजपुर 3. भामरा	..	..			
जिला धार :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. कपास, मूँगफली कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्की 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी	..	..			
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	..	..			
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास, सोयाबीन, तुअर, गेहूँ चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बडवाह 2. सनावद 3. महेश्वर 4. सेंगांव 5. करही 6. खरगोन 7. गोगावां 8. कसरावद 9. मुल्तान 10. भगवानपुरा 11. भीकनगांव 12. शिरन्या	..	..			

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, कपास, गेहूँ अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजपुर 4. सेंधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. निवाली 8. अंजड़ 9. बरला	..	..			
जिला फूर्ख-निमाड़ :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा 2. पंथाना 3. हरसूद	..	..			
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर 2. खकनार 3. नेपानगर	..	..			
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक. गन्ना, चना कम. तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर 2. खिलचीपुर 3. राजगढ़ 4. ब्यावरा 5. सारंगपुर 6. नरसिंहगढ़	..	..			
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	3. रबी फसल मसूर, तिवडा, मटर की कटाई का कार्य चालू है. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मसूर, लाख, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. लटेरी 2. सिरोज 3. कुरवाई 4. बासौदा 5. नटेरन 6. विदिशा 7. ग्यारसपुर	..	..			
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	3. तुअर की कटाई का कार्य चालू है. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर अधिक. गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. वैरसिया 2. हुजूर	..	..			
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) तुअर, गन्ना अधिक. कपास कम. गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अलसी, जौ समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. सीहोर 2. श्यामपुर 3. आषा 4. जावर 5. इछावर 6. नसरुल्लागंज 7. बुधनी 8. रेहटी	..	..			

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन : 1. रायसेन 2. गैरतगंज 3. बेगमगंज 4. गोहरगंज 5. बरेली 6. सिलवानी 7. बाढ़ी 8. उदयपुरा	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, लाख, सरसों, अलसी, गन्ना, जौ.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला बैतूल : 1. भैसदेही 2. घोड़ाडोंगरी 3. शाहपुर 4. चिंचोली 5. बैतूल 6. मुलताई 7. आठनेर 8. आमला	मिलीमीटर	2. फसल तुअर एवं गन्ने की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ कम. चना, मसूर समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला होशंगाबाद : 1. सिवनी-मालवा 2. होशंगाबाद 3. बाबई 4. इटारसी 5. सोहागपुर 6. पिपरिया 7. वनखेड़ी 8. पचमढ़ी	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला हरदा : 1. हरदा 2. खिड़किया 3. टिमरनी 4. हण्डिया 5. रेहटगांव 6. सिराली	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला जबलपुर : 1. सीहोरा 2. पाटन 3. जबलपुर 4. मझौली 5. कुण्डम	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, अलसी, ज्वार सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला कटनी : 1. कटनी 2. रीठी 3. विजयराधवगढ़ 4. बहोरीबंद 5. ढीमरखेड़ा 6. बरही	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड्ढंड, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ सुखरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. चने की फसल पर इलियों का प्रभाव है.	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर, कपास समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांडुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिल्लुआ 10. हरई 11. मोहखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ अलसी अधिक. चना, मटर, मसूर, तिवडा, राई-सरसों कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादान 4. बरघाट 5. कुरई 6. घंसीरा	..				
*जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कंठेंगी 6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला गुना, रीवा, रतलाम, बालाघाट से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन,

आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.